निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1302) पटना, शुक्रवार, 1 अगस्त 2025

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

1 अगस्त 2025

सं० 4/क्षे०स्था० (अमीन नियमा०)–02–02/2024/531(4)/रा०—भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के जिलों, चकबंदी निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं भू–अर्जन निदेशालय हेतु अमीनों के भर्त्ती की प्रक्रिया एवं अन्य सेवाशर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**–
   - (i) यह नियमावली बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।
   - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   - (iii) यह बिहार गजट में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**–इस नियमावली में, जब तक किसी बात, विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–
   - (i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
   - (ii) "विभाग" से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग;
   - (iii) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
   - (iv) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार अमीन संवर्ग;
   - (v) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है अंचल/अनुमंडल/जिला में कार्यरत अमीनों के लिए संबंधित जिला के समाहर्त्ता तथा निदेशालय के अधीन कार्यरत अमीनों के लिए संबंधित निदेशालय के निदेशक;
   - (vi) "अनुशासनिक प्राधिकार" से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकार अथवा संवर्ग नियंत्री प्राधिकार के द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्राधिकार;
   - (vii) "अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है अंचल/अनुमंडल/जिला में कार्यरत अमीनों के लिए संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त तथा निदेशालय के अधीन कार्यरत अमीनों के लिए संवर्ग नियंत्री प्राधिकार के द्वारा निर्धारित प्राधिकार;
   - (viii) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना;
   - (ix) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;

(x) "परीक्षा प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य आयोग/प्राधिकार,

(xi) "वर्ष के अंदर रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों का सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्ति,

3. संवर्ग का गठन।–

(i) यह एक राज्यस्तरीय अराजपत्रित संवर्ग होगा, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीनस्थ सभी स्थापना इकाईयाँ होंगी।

(ii) इस संवर्ग के कर्मियों का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं किया जाएगा, परन्तु सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के अन्दर इच्छित पदस्थापन किया जा सकेगा।

(iii) संवर्ग अन्तर्गत पदसोपान निम्नानुसार होगा :–

क्र.सं.	पद का नाम	प्रोन्नति हेतु पदसोपान
1	अमीन	मूल कोटि
2	अमीन ग्रेड–I	प्रथम प्रोन्नति
3.	प्रधान अमीन	द्वितीय प्रोन्नति

(iv) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व के सभी उप संवर्गों को एकीकृत किया जाता है।

(v) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व विभिन्न उप संवर्गों के अमीन कोटि में नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में अमीन के मूल कोटि के पद पर स्वतः शामिल समझे जाएँगे।

4. **स्वीकृत बल।**–

(क) इस संवर्ग में कर्मियों के पदों की संख्या उतनी ही होगी जितनी इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि तक सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित किये गए हों तथा उसके बाद की तिथियों से सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार स्वीकृत अथवा अवधारित की जाए।

(ख) स्वीकृत बल की संख्या राज्य सरकार समय–समय पर घटा/बढ़ा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या स्थगित अवस्था के अधीन रख सकेगी।

(ग) इस संवर्ग के कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित वेतनमान एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

5. **उम्र सीमा।**–

(i) अमीन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर नियत की जाय।

(ii) नियमित नियुक्ति किये जाने के क्रम में समकक्ष पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, परन्तु यह छूट तभी अनुमान्य होगी, जब संविदा आधारित नियुक्ति, चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकार द्वारा, स्वीकृत पद के विरूद्ध की गयी हो।

6. **आरक्षण।**–इस संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नत्ति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

7. **भर्त्ती।**–

(i) अमीन पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(ii) **(क)** अमीन के पदों पर सीधी नियुक्ति, परीक्षा प्राधिकार द्वारा अमीन के पदों के लिए आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव के लिए अवधारित अंकों को जोड़कर, घोषित परीक्षाफल के अनुसार, विभाग को प्रेषित अनुशंसा सूची के आधार पर की जाएगी। विभाग में इस प्रकार प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा उन्हें जिला अथवा निदेशालय आवंटित किया जाएगा, जिसके उपरान्त संबंधित जिले के समाहर्त्ता अथवा संबंधित निदेशालय के निदेशक द्वारा अमीन अभ्यर्थियों की नियुक्ति करते हुए क्रमशः अपने जिला अथवा निदेशालय के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न राजस्व कार्यालयों में उनका पदस्थापन किया जाएगा।

(ख) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा, जो विभाग के परामर्श से परीक्षा प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार के अधीन संविदा नियोजित अमीनों को, उनके अनुभव के आधार पर अंक दिये जाएंगे। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के लिए कुल निर्धारित अंक 100 होंगे। इन 100 अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :–

(a)	लिखित प्रतियोगिता परीक्षा मे प्राप्तांक के लिए	–	75 अंक
(b)	बिहार राज्य के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व में समकक्ष पद पर अभ्यर्थी द्वारा प्रति वर्ष की गयी संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पाँच अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा) दी जाएगी।	–	25 अंक
	कुल अंक	–	100 अंक
टिप्पणी :–	(क) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे **60×0.75=45** अंक दिये जाएंगे। (ख) अधिमानता का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा। न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण परीक्षा प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।		

8. **परिवीक्षा अवधि।–**

(i) मौलिक रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त प्रत्येक अमीन पद ग्रहण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(ii) परिवीक्षा अवधि के दौरान अमीन का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परिवीक्षा अवधि एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि उसके आचरण एवं सेवा में सुधार की सम्भावना है। बढ़ायी गयी अवधि में भी आचरण एवं सेवा असंतोषजनक होने पर संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(iii) नियुक्ति और प्रथम वेतन–वृद्धि के बीच हिन्दी–टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में प्रथम वेतनवृद्धि नहीं रोकी जाएगी। तत्पश्चात अगली वेतन–वृद्धि तभी मिलेगी जब मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा संचालित हिन्दी–टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय।

9. **प्रशिक्षण।**– अमीन के प्रशिक्षण के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्णय संसूचित किया जायेगा। विभाग के निर्णय के अनुरूप अमीन को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा निर्धारित की जाती है तो उसमें भी उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10. **विभागीय परीक्षा।**– इस संवर्ग के मूल कोटि के पद पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मी को यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के परामर्श से किया जाएगा।

11. **सेवा सम्पुष्टि।**– परिवीक्षा पर नियुक्त अमीन की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सेवा संपुष्टि हेतु निम्नलिखित परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त करना एवं निम्नांकित शर्त्तें पूरी करना अनिवार्य होगा :–

(i) मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा ;

(ii) बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा ;

(iii) राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा, जिसके लिए विषयों का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।

(iv) परिवीक्षा अवधि में आचरण एवं सेवा संतोषजनक रही हो।

12. **वरीयता।**– इस संवर्ग के सदस्यों की वरीयता सूची का संधारण राज्य स्तर पर संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। वरीयता के निर्धारण में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर नियत सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

परन्तु, नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व नियुक्त अमीनों (उप–संवर्गों सहित) की संयुक्त वरीयता संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा राज्य स्तर पर समेकित रूप से पुनर्निर्धारित की जाएगी, जिसके लिए निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जाएगा :–

(क) सीधी भर्त्ती से नियुक्त अमीन की वरीयता आयोग द्वारा संसूचित मेधा क्रमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(ख) सीधी भर्त्ती के अलावा अन्य किसी स्रोत से नियुक्त अमीनों के मामले में :–

(i) अमीन के पद पर योगदान की तिथि के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।

(ii) योगदान की तिथि समान होने पर जन्म तिथि के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।

(iii) योगदान की तिथि एवं जन्म तिथि समान होने पर नाम की अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।

13. प्रोन्नति।–

(i) इस संवर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति, संवर्गीय पदसोपान के अगले रिक्त पदों पर, आवश्यक अर्हताओं (यथा–सेवा संपुष्टि, पारस्परिक वरीयता, न्यूनतम कालावधि, कार्यानुभव, संतोषजनक सेवा आदि) के पूरा करने पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर, दी जाएगी।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।

14. स्थानांतरण।–विभाग अथवा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक कारणों से क्रमशः संपूर्ण राज्य में या अन्तर्निदेशालय या जिले से निदेशालय या निदेशालय से जिले में या जिले/निदेशालय के अन्दर, उसके सेवा में प्रवेश के आधार पर वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए, किसी भी समय इस संवर्ग के किसी कर्मी का स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया जा सकेगा। स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए अर्हता/प्रक्रिया का निर्धारण संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा।

15. अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील।–

(i) बिहार अमीन संवर्ग के कर्मियों के संदर्भ में अनुशासनिक कार्रवाई/नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील संबंधी मामलों का विनियमन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा।

(ii) इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधानित नहीं किये गये सेवा शर्त, बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्णयों से नियंत्रित होंगे।

16. अवशिष्ट मामले।– जिन विषयों के संदर्भ में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, उन विषयों में, इस संवर्ग के कर्मी, राज्य सरकार के समकक्ष कर्मियों के संदर्भ में किये गए प्रावधान से शासित होंगे।

17. निरसन एवं व्यावृति।–

(i) एतद द्वारा अमीन संवर्ग के संदर्भ में पूर्व में निर्गत बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2013 (समय–समय पर यथा संशोधित) सहित अन्य सभी पत्र/आदेश/परिपत्र निरसित समझे जाएंगे।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व के सरकारी परिपत्रों/नियमावलियों या अन्य के अधीन की गई सभी नियुक्तियाँ कानूनन विधिमान्य रहेंगी, मानो वे इस नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अधीन की गयी हो।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

The 1st August 2025

No. 4/Kshe.Stha. (Amin Niyama.)-02-02/2024/**531(4)**/R.,—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating the recruitment process and other service conditions of Amins for the Districts of the State, Directorate of Consolidation, Directorate of Land Record and Survey and Directorate of Land Acquisition we do:-

1. Short title, extent and commencement.-

(i) These rules may be called the Bihar Amin Cadre Rules, 2025.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force from the date of publication of the notification in the Bihar Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the subject or context otherwise requires-

(i) "State Government" means the State Government of Bihar;

(ii) "The Department" means the Department of Revenue and Land Reforms;

(iii) "Governor" means the Governor of Bihar;

(iv) "Cadre" means The Bihar Amin Cadre;

(v) "Appointing Authority" means the Collector of the concerned District for Amins working in Anchal/Subdivision/District and the Director of the concerned Directorate for Amins working under the Directorate;

(vi) "Disciplinary Authority" means the Appointing Authority or any other authority prescribed by the Cadre Controlling Authority;

(vii) "Appellate Authority" means the Divisional Commissioner of the concerned Division for Amins working in Anchal/Subdivision/District and the authority prescribed by the Cadre Controlling Authority for Amins working under the Directorate;

(viii) "Cadre Controlling Authority" means the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Revenue and Land Reforms Department, Bihar, Patna;

(ix) "Year" means the financial year, that is, the period from the 1st day of April to the 31st day of March of the following year;

(x) "Examination Authority" means the Bihar Technical Service Commission or any other commission/authority determined by the State Government;

(xi) "Vacancy in a year" means a vacancy arising in a particular year due to creation of new posts in the service, retirement, death, resignation, removal and dismissal;

3. Formation of the cadre.-

(i) This will be a State level Non-gazetted cadre, which will include all establishment units subordinate to the Revenue and Land Reforms Department.

(ii) The Employees of this cadre will not be posted in their home district, but within a year of their retirement, desired posting may be considered.

(iii) The hierarchy of posts under the cadre shall be as follows :-

Sl No.	Name of Post	Hierarchy For Promotion
1	Amin	Basic Grade
2	Amin Grade-1	First Promotion
3	Pradhan Amin	Second Promotion

(iv) All sub-cadres existing prior to the commencement of these Rules are hereby unified.

(v) Employees, appointed and working in the Amin category of various sub-cadres before the commencement of these rules will be deemed to be automatically included in the basic grade of Amin in this cadre.

4. Sanctioned Strength.-

(a) The number of posts of employees in the cadre shall be same as have been sanctioned/determined by the Government till the date of coming into force of these rules and sanctioned or determined by the Government from time to time as per requirement, after this date.

(b) The State government may increase/decrease the number of sanctioned strength from time to time or may keep any number of posts under abeyance.

(c) The employees of this cadre shall be paid as per pay scale and other allowances as determined by the State Government.

5. Age Limit.-

(i) The minimum age of the candidate for Amin shall not be less than 18 years on 1st August of the year in which applications are invited. The maximum age limit shall be the same as may be determined from time to time by the General Administration Department of the State Government.

(ii) In the process of making regular appointment, the employees engaged contractually on equivalent posts shall be given relaxation in the maximum age limit for the period equivalent to the period of work in contractual employment. Part of any working year will also be included

in this, but this exemption will be applicable only if the contract based appointment is made against a post sanctioned by the competent authority after following the selection process.

6. **Reservation.**-In the appointment/promotion in this cadre, the provisions of reservation /roster will be applicable as determined by the State Government from time to time.

7. **Recruitment.**-

(i) The minimum qualification for appointment to the post of Amin shall be a candidate having Diploma in Civil Engineering from a recognized institute.

(ii) **(a)** Direct appointment to the post of Amin shall be made on the basis of the recommendation list sent to the Department, as per the result declared, by adding the marks obtained in the written competitive examination conducted by the examination authority and the marks awarded for work experience. On the basis of such recommendation received in the department, they will be sent to the District or Directorate by the Cadre Controlling Authority, after which they will be posted in various Revenue Offices under their respective District or Directorate after the appointment of Amin candidates by Collector of the concerned District or the Director of the concerned Directorate.

(b) The syllabus of the written competitive examination will be the same as determined by the examination authority in consultation with the department. Contractually employed Amins under the State Government will be given marks on the basis of their experience. The total marks prescribed for the written competitive examination and work experience will be 100. These 100 marks will be determined as follows :–

(a) For marks obtained in the written competitive examination-	-	75 marks
(b) A maximum of 25 marks shall be given for satisfactory service rendered by the candidate in equivalent post on contract basis within the State of Bihar at the rate of five marks per year (for part of a year, proportional marks obtained by multiplying the number of working days by 5 and then dividing by 365)	-	25 marks
Total Marks	-	**100 mark**

Note- (a) The marks to be awarded to a candidate for the marks obtained in the written competitive examination will be determined by multiplying the percentage of total marks obtained in the said competitive examination by a factor of 0.75. For example, if a candidate has obtained 60 percent marks in the competitive examination, then he will be given $60 \times 0.75 = 45$ marks.

(b) The benefit of preference will be admissible only to those candidates who have obtained the minimum qualifying marks in the written competitive examination. The minimum qualifying marks will be determined by the examination authority.

8. **Probation period.**-

(i) Every Amin appointed against a substantive vacancy shall be on probation for a period of one year from the date on which he assumes charge.

(ii) If the conduct and service of the Amin is not found satisfactory during the probation period, the probation period may be extended by the appointing

authority for one more year, if it appears that there is a possibility of improvement in his conduct and service. If the conduct and service are found unsatisfactory even during the extended period, his service may be terminated by the cadre controlling authority.

(iii) In case the Hindi noting and drafting test is not organised between the appointment and the first pay increment, the first pay increment will not be stopped. Thereafter, the next pay increment will be given only when the Hindi noting and drafting test conducted by the Cabinet Secretariat (Rajbhasha) Department and the Computer Competency test conducted by the Bihar Institute of Public Administration and Rural Development (BIPARD) are cleared.

9. Training.- The decision regarding the training of Amin will be communicated by the department from time to time. It will be compulsory for the Amin to undergo training as per the decision of the department. If any examination is scheduled at the end of the training, then it will be compulsory to pass that also.

10. Departmental Examination.- The employee appointed through direct recruitment on the basic grade of this cadre will have to pass all the papers of the departmental examination as prescribed. Subjects, syllabus and procedure of departmental examination will be decided in consultation with the Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar, Patna.

11. Service confirmation.-After the probation period of an Amin appointed on probation is over, it will be mandatory for him to pass the following examinations and fulfill the following conditions for confirmation of service:-

(i) Hindi Noting and Drafting Examination conducted by the Cabinet Secretariat (Rajbhasha) Department;

(ii) Computer Proficiency Test conducted by the Bihar Institute of Public Administration and Rural Development (BIPARD);

(iii) Departmental examination to be conducted by the Board of Revenue, Bihar, Patna, the subjects for which will be determined by the Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar, Patna.

(iv) The conduct and service during the probation period has been satisfactory.

12. Seniority.- The seniority list of the members of this cadre will be maintained by the Cadre Controlling Authority at the state level. In determining the seniority, the principles and procedures laid down from time to time by the General Administration Department of the State Government Shall be followed.

However, The combined seniority of Amins (including sub-cadres) appointed before the coming into force of the rules shall be re-determined by the State Government, in a consolidated manner, for which the following points shall be kept in consideration :-

(a) The seniority of Amins appointed by direct recruitment shall be determined in the order of merit notified by the Commission.

(b) In case of Amins appointed from any source other than direct recruitment:-

(i) Seniority shall be determined according to the date of joining on the post of Amin.

(ii) If the date of joining is same, seniority shall be determined according to the date of birth.

(iii) If the date of joining and date of birth are same, seniority shall be determined according to the English alphabet of the name.

13. Promotion.-

(i) Promotion to the employees of this cadre shall be given on the recommendation of the Departmental Promotion Committee on fulfilling the required eligibility criteria (such as service confirmation, mutual seniority, minimum time period, work experience, satisfactory service etc.) to the next vacant posts in the hierarchy of cadre.

(ii) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department by a separate order.

14. Transfer.-Any employee of this cadre may be transferred and posted by the department or appointing authority at any time for administrative reasons throughout the State or inter-directorate or district to directorate or directorate to districts or within the district/ directorates, respectively, keeping intact the seniority based on his entry into the service. The qualification/process for transfer/posting can be determined by the Cadre Controlling Authority.

15. Discipline, control and appeal. -

(i) The matters relating to disciplinary action/control, classification and appeal in respect of personnel of Bihar Amin Cadre will be regulated as per the provisions contained in the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time).

(ii) The service conditions not specifically provided in these rules shall be governed by the Bihar Service Code and other decisions issued by the State Government from time to time.

16. Residual matters.-In matters in respect of which no specific provision has been made in these rules, the employees of this cadre shall be governed by the provisions made in respect of equivalent employees of the State Government.

17. Repeal and Inversion.-

(i) All other letters/orders/circulars issued earlier in respect of Amin cadre including Bihar Amin Cadre Rules, 2013 (as amended from time to time) shall be deemed to be repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, all appointments made under earlier Government Circulars/Rules or others shall continue to be legally valid as if they were made under the relevant provisions of these Rules.

By the order of Governor of Bihar,
Dipak Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1302-571+500-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in